

PM/VI/2011-12/OG-GO/

To

The Director of Treasuries and Accounts
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
Hyderabad

Sir,

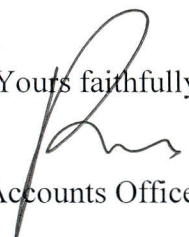
Sub:- Forwarding of Consolidation of pension of pensioners who retired on or after 01.01.2006 under UGC scales.

Ref:- 1. Accountant General (A&E) II Madhya Pradesh Gwalior Special Seal
Authority No.PAI/Pension/3662-3700 Dt.29-09-2011

2. Government of Madhya Pradesh , Bhopal Finance Dept. Vallabh Bhavan,
Secretariate F 9-3/2010/Rules/4 dt.21.09.2011

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Accountant General (A&E) , Madhya Pradesh, Gwalior in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,


Sr Accounts Officer

Copy To
Joint Director,
M J Road, Jambagh
Pension Payment Office,
Nampally,
Hyderabad

for information and necessary action.

Sr Accounts Officer

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E) -II MADHYA PRADESH
GWALIOR

No. PAI/ Pension/ 3662-3700

Dated:- 29 SEP 2011

To,

THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
Andhra Pradesh, Hyderabad

Sub.- Regarding- Consolidation of pension/ family pension of Madhya Pradesh Government the pensioners/ family pensioners who retired/ died on or after 01-01-2006 under UGC Scale.

Sir,

I am to enclose herewith Government of Madhya Pradesh, Finance Department, Mantralaya, Vallabh Bhavan Bhopal, Order No. F-9-3/2010/ Rule/ 4, dated 21-09-2010 regarding the above subject, and to state that instructions contained therein may be followed strictly. The entire pension disbursing authorities in the district may be directed suitably to pay the above of the Madhya Pradesh Government the pensioners and family pensioners without delay. Orders regarding Consolidation of pension interms of 6th Pay Commission issued by Government of Madhya Pradesh Finance Department Order No. F-9/ 2/ 2009/ R/ IV (Part I & II) dated 03-08-2009 have already been sent to you vide this office letter No. SSA Circular No. PAI/ GEN/ SS-77/ 3178-3212 dated 14-10-2009 under Special Seal Authority.

The receipt of the order may please be acknowledged.

Encl: - As above

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer/ PAI

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वस्त्रभवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9-3/2010/नियम/चार
प्रति.

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर, 2010

शासन के सम्पन्न निदेश,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, भोपाल,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त निम्नान्वय,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विवय - दिनांक 1-1-2006 के पूर्व एवं 1-1-06 या पश्चात यू.जी.सी. चेतनमान में सेवानिवृत्त पेंशन
भोगियों / अतिवार पेंशन भोगियों को पेंशन / पेंशन पेंशन का समेकन
संदर्भ - मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ -9/2/2009/नियम/चार(भाग-1),
एवं (भाग-2) दिनांक 3 अगस्त 2009 एवं सम्पन्न के परिपत्र दिनांक 9 मार्च 2010

मध्यप्रदेश चेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के प्रभावशील होने के परिणामस्वरूप संदर्भित परिपत्रों
द्वारा राज्य के शासकीय सेवकों के पेंशन निर्धारण, पुनरीक्षण एवं समेकन हेतु निर्देश जारी किये जा चुके
हैं। अतः राज्य शासन में आया है कि प्रदेश के महाविद्यालयों के शिक्षक/अधिकारी जिन्हें यू.जी.सी.
चेतनमान दिया गया है को पेंशन निर्धारण, पुनरीक्षण एवं समेकन के लिये भी इसी नियम के अन्तर्गत लागू
होगा।

2/ यू.जी.सी. चेतनमान प्राप्त कर रहे ऊपर वर्णित श्रेणी के शिक्षक/ अधिकारियों के पेंशन
परिपत्रों का दायित्व राज्य शासन का ही रहता है। अतः राज्य शासन ने विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि
वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्रों द्वारा जारी निर्देश पेंशन निर्धारण, पुनरीक्षण एवं समेकन के लिये ऊपर
वर्णित यू.जी.सी. चेतनमान प्राप्त कर रहे शिक्षक/ अधिकारी पर भी लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.पी. सिक्का)

प्रमुख सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

**मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय**

//आदेश//

भोपाल दिनांक 16 अप्रैल, 2010

क्रमांक एफ. 1-124-2010-1-38 राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/अधिकारियों हेतु पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत करने के संबंध में जारी आदेश दिनांक 29.10.09 एवं 18.12.09 को निरस्त करते हुये भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (शिक्षा विभाग) के परिपत्र क्रमांक 1-32/2006-U.II/U.(i), नई दिल्ली, दिनांक 31.12.06, परिपत्र क्रमांक एफ. 3-1/2009-U.I, दिनांक 4 जून, 2009 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परिपत्र क्रमांक एफ. 1-6/2009/PRC, दिनांक 27 फरवरी, 2009 एवं भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्यों, शिक्षकों, ग्रंथपालों तथा कीड़ा अधिकारियों एवं कक्षाप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत विश्वविद्यालयों में कार्यरत कुलापदित्यों, कुलसचिवों, शिक्षकों, ग्रंथपालों एवं कीड़ा अधिकारियों (जिनमें पूर्व से यूजीसी वेतनमान प्राप्त है, और नियमित सेवा में हैं) के लिये दिनांक 1.1.2006 से विमानानुसार पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत करता है:-

शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिये पुनरीक्षित वेतनमान

क्र.सं.	पदनाम	वर्तमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान
1.	सहायक प्राध्यापक	Rs. 8000-275-13500	Rs. 15600-39100+AGP 6000
2.	सहायक प्राध्यापक (विशेष वेतनमान)	Rs. 10000-325-15200	Rs. 15600-39100+AGP 7000
3.	सहायक प्राध्यापक (प्रिय डेप्टी वेतनमान 93 वर्ष से कम सेवा)	Rs. 12000-420-18300	Rs. 15600-39100+AGP 8000
4.	सहायक प्राध्यापक (प्रिय डेप्टी वेतनमान 93 वर्ष से अधिक सेवा)	Rs. 12000-420-18300	Rs. 37400-67000+AGP 9000
5.	सहायक प्राध्यापक (प्रिय डेप्टी वेतनमान 93 वर्ष से अधिक सेवा)	Rs. 12000-420-18300	Rs. 37400-67000+AGP 9000
6.	सहायक प्राध्यापक (प्रिय डेप्टी वेतनमान 93 वर्ष से अधिक सेवा)	Rs. 12000-420-18300	Rs. 37400-67000+AGP 10000 (देखें परिशिष्ट -1)
7.	प्राचार्य (स्नातकोत्तर स्तर)	Rs. 12000-420-18300	Rs. 37400-67000+AGP 10000 +Special Allowance 2000
8.	प्राचार्य (स्नातकोत्तर स्तर)	Rs. 16400-450-20900-500-22400	Rs. 37400-67000+AGP 10000 +Special Allowance 3000
9.	ग्रंथपाल	Rs. 8000-275-13500	Rs. 15600-39100+AGP 6000

B-1/4

10.	सहायक (शासीनिक शिक्षा) (प्रवर श्रेणी वेतनमान)	Rs. 16400-450-20000- 500-22400	Rs. 37400-67000+AGP 10000
11.	सहायक ग्रंथपाल	Rs. 8000-125-13500	Rs. 15600-39100+AGP 6000
12.	सहायक ग्रंथपाल (वरिष्ठ-श्रेणी वेतनमान)	Rs. 10000-325-15200	Rs. 15600-39100+AGP 7000
13.	उप ग्रंथपाल / सहायक ग्रंथपाल (प्रवर श्रेणी वेतनमान 03 वर्ष से कम सेवा)	Rs. 12000-420-18300	Rs. 15000-39100+AGP 8000
14.	उप ग्रंथपाल / सहायक ग्रंथपाल (प्रवर श्रेणी वेतनमान 03 वर्ष से अधिक सेवा)	Rs. 12000-420-18300	Rs. 37400-67000+AGP 9000
15.	ग्रंथपाल (प्रवर श्रेणी वेतनमान)	Rs. 16400-450-20000- 500-22400	Rs. 37400-67000+AGP 10000
16.	कुल सचिव	Rs. 16400-450-20000- 500-22400	Rs. 37400-67000+AGP 10000 (देखें परिशिष्ट -I)
17.	कुलपति	Rs 25000/- निश्चित वेतनमान	Rs 75000/- निश्चित वेतनमान +Special Allowance 5000

1. पुनरीक्षित यूजी.सी. वेतनमान में 01.01.00 के पश्चात सेवा में प्रवेश करने पर वेतन बैंड रुपये 15600-39100 में अकादमिक ग्रेड वेतन रुपये 6000 देय होगा।

यूजी.सी. द्वारा निर्धारित समस्त शर्तें पूर्ण करने पर-

I. अकादमिक ग्रेड वेतन 7000 रुपये में स्थानान्तरण हेतु 06 वर्ष के न्यूनतम सेवाकाल की अर्हता होगी। संबंधित विषय में पीएच.डी. तथा एम. फिल. सत्यापि धारकों के लिए यह सेवाकाल कमशः 04 वर्ष एवं 05 वर्ष होगी।

II. अकादमिक ग्रेड वेतन 8000 रुपये में स्थानान्तरण हेतु अकादमिक ग्रेड वेतन 7000 रुपये में 05 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने की अर्हता होगी।

III. अकादमिक ग्रेड पे 8000 रुपये में तीन वर्ष पूर्ण करने पर अकादमिक ग्रेड वेतन 8000 रुपये के साथ वेतन बैंड 37400-67000 रुपये में निर्धारण तथा सह प्राध्यापक पदनाम की पात्रता होगी।

IV. पुनरीक्षित यूजी.सी. वेतनमान में पे-बैंड रुपये 37400-67000+अकादमिक ग्रेड वेतन 9000 रुपये में तीन वर्ष पूरे करने पर अकादमिक ग्रेड वेतन 10,000 रुपये की पात्रता होगी।

3. पुराने वेतनमान के आधार पर 31-12-2008 की स्थिति में सीपी भर्ती सं/पदोन्नति से पदोन्नत प्राध्यापक पुनरीक्षित वेतनमान में भी पदोन्नत माने जाएंगे। पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर आगे पदोन्नति के लिए यूजी.सी. के द्वारा निर्धारित-शर्तें पूर्ण करना आवश्यक होगा।

E/314

अधिकारी संकाय आदि हेतु अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष यथावत रहेगी । इस संबंध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे ।

12. भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 31-12-2008 की अनुशंसाओं के अनुरूप कंडिका 8 एफ (i) के अनुसार कुलपतियों की अधिवार्षिकी आयु 65 से बढ़ाकर 70 वर्ष की गई है जिसके संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे । अतः आदेश जारी होने के दिनांक से 65 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने वाले कुलपतियों को सेवानिवृत्त न किया जाय ।
13. वर्तमान में प्राप्त वेतनमान के संगत वेतनमान में ही वेतन निर्धारण किया जाएगा । स्थानन के आदेश पूर्वानुसार शीर्षन स्तर से प्रसारित किये जायेंगे ।
14. यदि संशोधित वेतन बैंड में वेतन निर्धारण में किसी अधिकारी का वेतन ऐसी अवस्था पर निर्धारित हो जाता है जो कि उसके समान केडर के कनिष्ठ से कम है तब मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-8-2009-नियम/चार दिनांक 28 फरवरी, 2009 के अनुसार वेतन निर्धारण किया जाएगा ।
15. 01.01.2006 की स्थिति में अवकाश/प्रतिनियुक्ति/निलम्बन होने की स्थिति में वेतन निर्धारण नियमानुसार किया जायेगा ।
16. यह सहमति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रो CR 407/ B- 3/ 2010 दिनांक 15.4.2010 द्वारा प्रदान की गई ।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

[Signature]
(प्रबल सिपाही)

उप सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

गुणक 0 एफ 1-124/2009/1/30.

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल, 2010

प्रतिष्ठित:-

1. सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), शास्त्री भवन सी. विंग, नई दिल्ली ।
2. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश ।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग ।
5. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल ।
6. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी उच्च शिक्षा ।
7. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर जफर मार्ग, नई दिल्ली ।

[Handwritten signature]